तारीख
हुक्म
जारी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस.
अपील सं. 19/2020
बालकृष्ण पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 3—जे, 33 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तह0 श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राज्य) हनुमानगढ

—असल रेस्पोडेंट

2. बलराम पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 3—एच, 22 जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
3. नंदलाल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 1—जी, 12 जवाहरनगर श्रीगंगानगर।
4. रूकमणीदेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नि आत्माराम जाति अग्रवाल निवासी मैन बाजार भादरा तह0 भादरा जिला हनुमानगढ।
5. कृष्णादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी मैन बाजार बाजार बठिण्डा तह0 व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
6. सुशीला देवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नि अमरनाथ जाति अग्रवाल निवासी पंजाब एंड सिंध बैंक वाली गली, कोटकपुरा तह0 कोटकपुरा जिला फरीदकोट (पंजाब)।
7. उषादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नि प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी न्यू लाईट सिनेमा के पास, रायसिंहनगर तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. पुष्पादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नि विष्णु कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं0 21, पोस्ट ऑफिस के पास, हनुमानगढ टाउन तह0 हनुमानगढ।

—तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 जो तहसीलदार (भू0अ0) टिब्बी द्वारा चक 4 टीएलडब्ल्यू तह0 टिब्बी की सावित्रिदेवी की भूमि को आराजीराज दर्ज किया गया, को अपास्त करने व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने बाबत।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितः— 1. श्री अशोक कुमार छोडा अभिभाषक अपीलांट्।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।
3. श्री जसवीर सिंह सुवेदी अभिभाषक रेस्पो0 2 से 8 तक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —27.08.2021

अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि अपीलांट की माता सावित्रि देवी पत्नि जगदीशचन्द्र के नाम से तहसील टिब्बी के चक 4 टीएलडब्ल्यू के प0नं0 233/288 (26) किला नं0 5/1 से 8, 13 से 19, 22 से 25/1, प0नं0 234/288 (27) किला नं0 1,10,11,20,21 कुल तादादी 4.935 है0 कृषि भूमि सैटलमेंट अभिलेख से खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख थी। उक्त कृषि भूमि सावित्रि देवी को भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपजिलाधीश हनुमानगढ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 27.05.69 एवं 03.01.1989 द्वारा खातेदारी आवंटन हुई थी। इस आदेश के आधार पर सावित्रि देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सहित एक वाद न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ में विचाराधीन रहा लेकिन इस न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को जमीदारी एवं विश्वेदारी एबुलेशन एक्ट के दिन राजकीय भूमि घोषित की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई और निर्णित हुई। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय के विरूद्ध स्टेट द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील सं0 4095/05 अनवान सरकार बनाम जरनैलसिंह आदि प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनाक 31.10.2007 को करते हुए अपील स्वीकार फरमाई गई। इस निर्णय व डिक्री की पालना में दीगर व्यक्तियों से अन्य

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

भूमि सहित इस भूमि का कब्जा दिनांक 13.01.2007 को बहक सरकार लिया गया। कब्जा बहक सरकार लेने के पश्चात तहसीलदार टिब्बी द्वारा इंतकाल 380 दिनांक 13.11.2007 दर्ज करते हुए आराजीराज दर्ज कर दी गई। जरनेलसिंह आदि द्वारा इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष नजरसानी/जमीदारी विश्वेदारी/10680/07 हनुमानगढ जरनेलसिंह बनाम सरकार प्रस्तुत की जो दिनांक 31.01.2008 को स्वीकार होकर आदेश दिनांक 31.10.2007 को निरस्त कर दिया गया व अपील पुनः नम्बर 1287/08 स्टेट बनाम जरनेलसिंह बाजवा नम्बर पर ले ली गई। इस आदेश की पालना में इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 निरस्त हो चुका है। इस आदेश के पश्चात इंतकाल सं0 400 दिनांक 25.10.2008 दर्ज किया गया है, जिसकी अपील अलग से प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट इन्तकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 को निम्न आधारों पर चुनौती दे रहा है।

मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2008 पारित करते हुए आदेश दिनरांक 31.10.2007 को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण आदेश दिनांक 31.10.2007 की पालना में दर्ज हुये इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 प्रभावहीन हो चुका है। इस कारण प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 से पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल हो चुकी है। उक्त इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 के आधार पर राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सावित्रिदेवी के नाम आराजीराज दर्ज होने से अपीलांट की माता सावित्रिदेवी के स्वर्गवास होने के पश्चात विरासतन इंतकाल दर्ज होने से असुविधा हो रही है। अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 का पूर्व में किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था। अपीलांट की माता सावित्रिदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट दिनांक 04.11.2020 को स्व0 सावित्रिदेवी का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो अपीलांट को पटवारी हल्का से ज्ञान हुआ कि प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलांट की माता सावित्रिदेवी के नाम इंतकाल सं0 400 के द्वारा गैरखातेदारी दर्ज तब अपीलांट ने उसी दिवस अपीलाधीन इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से प्राप्त की तब अपीलांट को उक्त इंतकाल में गैरखातेदारी होने का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात अपीलांट ने अपीलाधीन इंतकाल के संबंध में अन्य कागजात एकत्रित किये और आज बिना किसी देरी के यह अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलांट की माता सावित्रि देवी के नाम गैर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अपीलांट की माता सावित्रिदेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विविध वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट 02 से 08 तक है जिनका हित अपीलांट के समान है, लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 02 से 08 आज उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीबी रेस्पोडेंट के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलाधीन इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये तथा 2 ता 8 की ओर से जसवीर सिंह सुवेदी आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश 13.11.2007 का ज्ञान अपीलार्थी को दिनांक 04.11.2020 को पटवारी हल्का से हुआ, इससे पहले कोई ज्ञान नहीं हुआ था। ज्ञान होते ही दिनांक 19.11.2020 को ईन्तकाल की नकल प्राप्त करते हुए बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपील को अंदर मियाद माने जाने का निवेदन किया।

अपनी बहस को जारी रखते हुए अपीलार्थी के अभिभाषक ने कथन किया कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2008 पारित करते हुए आदेश दिनांक 31.10.2007 को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण आदेश दिनांक 31.10.2007 की पालना में दर्ज हुये इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 प्रभावहीन हो चुका है इस कारण प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 से

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

पूर्व राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल हो चुकी है। उक्त इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 के आधार पर राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि सावित्रिदेवी के नाम आराजीराज दर्ज होने से अपीलांट की माता सावित्रिदेवी के स्वर्गवास होने के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज होने से असुविधा हो रही है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर अपीलाधीन इंतकाल सं0 380 दिनांक 13.11.2007 को अपास्त फरमाया जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व अपीलार्थी के शपथ पत्र के आधार पर अपील में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया गया कि उक्त प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में वर्तमान में विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश की पालना में विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में पूर्व स्थिति बहाल के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी में विशेष प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़